प्रेस विज्ञप्ति

05.11.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चेन्नई आंचलिक कार्यालय–II ने ऑनलाइन धोखाधड़ी से संबंधित धन शोधन की जांच के सिलसिले में दिनांक 30.10.2026 को रोशन फियाज एवं अम्मार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। इस मामले में ऑनलाइन धोखाधड़ी से अर्जित अपराध की आय (प्रोसीड्स ऑफ क्राइम) का शोधन म्यूल बैंक खातों के नेटवर्क तथा क्रिप्टोकरेंसी (यूएसडीटी) के माध्यम से किया गया था।

ईडी द्वारा जांच की शुरुआत दो प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर की गई। इनमें से एक प्राथमिकी तमिलनाडु पुलिस के राज्य साइबर अपराध कमांड सेंटर द्वारा तथा दूसरी प्राथमिकी साइबर अपराध पुलिस स्टेशन, साइबराबाद, तेलंगाना द्वारा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023/भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत दर्ज की गई थी।

संक्षेप में अपराध का तरीका (मोडस ऑपरेंडी) यह था कि धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति निवेश योजनाओं, नौकरियों, शेयर बाजार में निवेश तथा अन्य ऑनलाइन धोखाधड़ी के तरीकों का प्रलोभन देकर पीड़ितों को फोन करते थे अथवा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनसे संपर्क करते थे। इसके परिणामस्वरूप पीड़ितों द्वारा उपलब्ध कराए गए म्यूल खातों में धनराशि अंतरित की जाती थी। इसके बाद उक्त धनराशि को म्यूल खातों के नेटवर्क के माध्यम से कई छोटे–छोटे हिस्सों में विभाजित करके आगे अंतरित किया जाता था तथा बाद में इसका एक हिस्सा नकदी के रूप में निकाला जाता था और क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के नेटवर्क में अंतरित कर दिया जाता था।

ईडी की जांच के दौरान तेलंगाना, कर्नाटक एवं पश्चिम बंगाल में दर्ज 10 अन्य प्राथमिकी भी इसी नेटवर्क से जुड़ी पाई गईं। इसके अतिरिक्त, इसी नेटवर्क से संबंधित 600 से अधिक साइबर अपराध शिकायतें भी सामने आई हैं। सैकड़ों साइबर अपराधों एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी के माध्यम से अर्जित 400 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध की आय को आरोपियों द्वारा म्यूल बैंक खातों के नेटवर्क तथा क्रिप्टोकरेंसी अंतरण के माध्यम से अन्यत्र अंतरित एवं विभिन्न स्तरों पर छिपाया गया। जांच में पाया गया कि रोशन फियाज एवं अम्मार ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर म्यूल खातों के नेटवर्क के जरिए अपराध की आय के अपवर्तन एवं विभिन्न स्तरों पर छिपाने तथा अपराध की आय को क्रिप्टोकरेंसी में अंतरित करने की कार्यप्रणाली तैयार की और उसे संचालित किया।

जांच में सामने आया है कि रोशन फियाज इस नेटवर्क का प्रमुख व्यक्ति था तथा वह अपने नाम पर, अपनी पत्नी के नाम पर और अपने नियंत्रण वाली कई एकल स्वामित्व वाली एवं अन्य संस्थाओं के नाम पर म्यूल बैंक खातों की एक व्यापक श्रृंखला संचालित कर रहा था। ऐसे 31 बैंक खातों में 300 करोड़ रुपये से अधिक के डेबिट एवं क्रेडिट लेन–देन पाए गए। पीड़ितों से एकत्र की गई धनराशि को कई बैंक खातों के माध्यम से अंतरित किया गया तथा क्रिप्टोकरेंसी वॉलेट के जरिए यूएसडीटी में परिवर्तित किया गया।

अम्मार की भूमिका एक ऐसे प्रमुख व्यक्ति के रूप में सामने आई, जो रोशन फियाज को विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं के म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराता था। इसके साथ ही वह खाता

किट, नेट बैंकिंग क्रेडेंशियल, सिम कार्ड, मोबाइल फोन एवं ई-मेल आईडी भी उपलब्ध कराता था, जिनका उपयोग क्रिप्टो खरीदारों से भारतीय रुपये में धनराशि प्राप्त करने के लिए किया जाता था।

इससे पूर्व, ईडी ने पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत रोशन फियाज, अम्मार एवं उनसे जुड़ी संस्थाओं के विभिन्न परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया था। इस दौरान 14.50 लाख रुपये की नकदी तथा 3.26 करोड़ रुपये मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की गई थी। इसके अतिरिक्त, विभिन्न बैंक खातों में जमा लगभग 88.28 लाख रुपये की राशि को फ्रीज किया गया था।

दोनों आरोपियों को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), चेन्नई के समक्ष पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

आगे की जांच जारी है।

